# आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

**सेवा अपील वाद सं0–193/2018**
**श्री शिवशंकर**
**बनाम**
**राज्य सरकार एवं अन्य**

## आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 16.02.2023 | प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वाराCWJCसंख्या–12017/2022 में दिनांक–08.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में श्री शिवशंकर, तत्कालीन उच्च वर्गीय लिपिक सम्प्रति बर्खास्त द्वारा दायर की गयी है।<br><br>जिलाधिकारी, वैशाली से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला श्री शिवशंकर, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक सम्प्रति बर्खास्त, अंचल कार्यालय, पातेपुर के उपर लगाये गये आरोपों में लिये गये निर्णय से संबंधित है।<br><br>अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है किअनुमंडल पदाधिकारी, महनार के पत्रांक–2532 दिनांक–30.12.2011 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी को प्रेषित पत्र में उल्लेखित है कि श्री रामसुन्दर दास, तत्कालीन माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष, जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, वैशाली की अध्यक्षता में आहुत जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षात्मक बैठक की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि देसरी प्रखंड अर्न्तगत बी0आर0जी0एफ0 मद से वित्तीय वर्ष–2010–11 में कुल–55 सोलर लाईट लगायी गयी थी। इन योजनाओं का विभागीय अभिकर्ता श्री शिवशंकर, उच्चवर्गीय लिपिक थें। प्रति सोलर लाईट 26592/–रू0 की दर से दिनांक–12.02.2011 को अग्रिम भुगतान किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि स्थल पर मात्र 18 सोलर लाईट ही मौजूद थें, जिसमें ज्यादातर सोलर लाईट खराब पाये गये एवं उनकी गुणवता भी संतोषजनक नहीं थी। 37 सोलर लाईट स्थल पर पाये ही नहीं गये। प्रति सोलर लाईट–26592/–की दर से 37 सोलर लाईट का कुल–26592x37=9,83,904=00भुगतान की गयी। तत्कालीन विभागीय अभिकर्ता श्री शिवशंकर तथा अन्य पर इस राशि के गबन का | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

आरोप है।इसी आरोप में श्री शिवशंकर एवं अन्य के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, देसरीद्वारा दिया गया। श्री शिवशंकर, उच्चवर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, पातेपुर के विरूद्ध दर्ज देसरीथाना कांड संख्या–01/12 दिनांक–02.01.2012 की धारा–406,408,409,420,467,460 एवं 469 के तहत दिनांक–25.08.2012 को उन्हें पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार कर लिया गया,जिसके फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश ज्ञापांक–997 दिनांक–16.11.2012 द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने के पश्चात् श्री शिवशंकर द्वारा दिनांक 04.02.2013 को अंचल कार्यालय, पातेपुर में योगदान दिया गया। फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 292 दिनांक 01.04.2013 द्वारा श्री शिवशंकर को पुनः निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महनार को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रपत्र–'क' में गठितआरोप निम्न हैः–

1. इंदिरा आवास योजना अर्न्तगत वर्ष–2009–10 एवं वर्ष–2010–11 का अभिलेख एवं पंजी कार्यालय में नहीं सौपंने के कारण उक्त वर्ष के लाभुको को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं हो रही है जो उनके अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता के द्योतक है।

2. बी0आर0जी0एफ0 योजना के अंतर्गतवर्ष–2010–11 में प्रखंड के अर्न्तगत लगाये गये सोलर लाईट जो घटिया किस्म की थीं। प्रत्येक सोलर लाईट का दर 26952=00 से 55 सोलर लाईट की कुल राशि–14,82,360/– रू0 है जिसका अभिश्रव कार्यालय एवं संचिका में उपलब्ध नहीं है, जो सरकारी राशि की गबन का मामला बनता है।

3. बी0आर0जी0एफ0 योजना के अर्न्तगतयोजना सं0–01/2010–11 में 307500/–रू0, 02/2010–11 में 67500/– रू0, 03/2010–11 में 157500/–रू0, 04/2010–11 में 257500/– रू0 की अग्रिम निकासी कर कार्य नहीं कराया गया है, जिसके अभिकर्ता स्वयं शिवशंकर थें। यह सरकारी राशि का गबन एवं दुरूपयोग का मामला बनता है।

4. 13वीं0 वित्त आयोग की राशि वर्ष–2010–11 में आँगनबाड़ी क्रेन्द्र का निर्माण हेतु अभिकर्ता रहकर योजना संख्या–01/2011 में

WEB COPY NOT OFFICIAL

अग्रिम राशि 132500/– रू0 लेकर स्थल पर कार्य नहीं कराया गया । यह भी सरकारी राशि का गबन एवं दुरूपयोग का मामला बनता है।

5. जी0आर0 वितरण हेतु अग्रिम की राशि ली गयी जिसमें 736725/– रू0 का अभिश्रव जमा नहीं किया गया।साथ ही नजारत से 8650/–रू0 अग्रिम ली गयी। यह राशि अपने व्यक्तिगत कार्य में खर्च किया गया। यह भी सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं गबन का मामला बनता है।

6. बी0आर0जी0एफ0 योजना के अर्न्तगत

11 अदद शौचालय निर्माण @20,000=220000/-
11अदद चापाकल मरम्मति @1,000=11000/-
**कुल–2,31,000/–**
उक्त राशि का अभिश्रव कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।

7. राष्ट्रपति निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अर्न्तगत
25अदद सोलर लाईट@26592=664800/-
09 अदद शौचालय @10,000=90000/-
14अदद शौचालय =2,67,000/-
24अदद चापाकल @10,000=2,40,000/-
31अदद नेम प्लेट @15,000=4,65,000/-

उक्त राशि का अभिश्रव कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।
यह सरकारी राशि की गबन का मामला बनता है।

8. कार्यालय के महत्वपूर्ण योजनाओं का अभिश्रव एम0भी0, संचिका, रजिस्टर एवं पंजी का प्रभार नहीं सौपा गया जिसके कारण कार्यालय में कार्य करने में कठिनाई हो रही है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, महनार के पत्रांक 1861 दिनांक 01.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री शिवशंकर के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJCसंख्या–14681/2016 में दिनांक–31.10.2017 को जाँच प्रतिवेदन निरस्त करते हुए पुनः नियमानुसार जाँच कराने का आदेश पारित किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय कार्यवाही के पुनः संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महनार

WEB COPY NOT OFFICIAL

को मूल अभिलेख भेजा गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, महनार के पत्रांक 133 दिनांक 23.01.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री शिवशंकर के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दंडात्मक आदेश पारित करने के पूर्व श्री शिवशंकर से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

सम्यक विचारोपरांत आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 53 (मु0) दिनांक 24.09.2018 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री शिवशंकर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJCसंख्या–12017/2022दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 08.09.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका अंश निम्न प्रकार है–

"This court would observe that if the appeal is still pending for four years, then same is required to be disposed of by a reasoned and speaking order in accordance with law within eight weeks from the date or receipt/production of a copy of this order.

Writ petition stands disposed of."

उक्त आदेश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में सेवा अपील वाद संख्या–193/2018 दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(i) यह कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा एक भी साक्षी का बयान दर्ज नहीं कराया गया।

(ii)यह कि ऐसे गवाहों की सूची जिसके बयान के आधार पर आरोप गठित किया गया, उसकी गवाही नहीं कराई गई।

(iii) यह कि उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा जो कागजात विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया, उसी को आधार मानकर संचालन

पदाधिकारी ने अपीलार्थी पर लगाए गए सभी आरोपों को प्रमाणित किया। आरोपी द्वारा आरोप से संबंधित साक्ष्य की मांग करने पर आधा–अधुरा कागजात उपलब्ध कराया गया।

(iv) यह कि समाहर्त्ता महोदय ने द्वितीय कारण–पृच्छा पर बिना विचार किये दिनांक 24/09/2018को अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया

WEB COPY NOT OFFICIAL

गया।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(I) श्री शिवशंकर, उच्च वर्गीय लिपिक द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि की निकासी की गयी और कार्य पूरा नहीं कराया गया। श्री शिवशंकर के विरूद्ध कार्य में अनियमितता, सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं गबन का प्रमाणित आरोप है।

(II) अनुमंडल पदाधिकारी महनार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी देसरी द्वारा संयुक्त रूप से देसरी प्रखंड अंतर्गत बी0आर0जी0एफ0 मद से लगाये गये सोलर लाईट की जाँच की गई तथा भौतिक सत्यापन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक 2528 दिनांक 30.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि :–

''देसरी प्रखंड अंतर्गत कुल–55 सोलर लाईट लगाया गया।सभी योजनाओं में प्रति योजना कुल प्राक्कलित राशि 26592/– के विरूद्ध शत्–प्रतिशत् राशि का भुगतान विभागीय अभिकर्ता श्री शिव शंकर, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, देसरी को कर दिया गया है फिर भी कुल 37 सोलर लाईट अभी तक स्थल पर नही लगाया गया है जो कि सरकारी राशि का अस्थायी गबन का मामला बनता है। स्थल पर लगाये गये ज्यादातर सोलर लाईट नही जल रहे है जो कि सोलर लाईट की गुणवर्त्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

योजनाओं से संबंधित अभिलेख के जाँच के क्रम में पाया गया कि किसी भी योजना अभिलेख में योजना का नाम/सोलर लाईट स्थापन का स्थल अंकित नही है। चेक प्राप्ति रसीद पर अभिकर्ता का हस्ताक्षर नही है। सोलर क्रय करने से संबंधित बिल संधारित नहीं है। आपूर्तिकर्ता के साथ एग्रीमेंट तथा वारंटी एवं रख–रखाव से संबंधित कोई एकरारनामा नही किया गया है। कार्यादेश एवं अभिकर्ता के साथ एकरारनामा में भी योजना का नाम एवं स्थल अंकित नहीं है। योजना पंजी में किसी भी योजना के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। योजना पंजी में सभी योजनाओं को पूर्ण दर्शाया गया है। योजना अभिलेख के कवर पृष्ठ पर भी योजना को पूर्ण दर्शाया गया है। योजना पंजी में कुल योजना सं0 6/2010–11 से योजना सं0 60/2010–11 तक सोलर लाईट की योजनाएँ दर्ज है परंतु अभिलेख सं0 56/2010–11 में कुल पन्द्रह सोलर लाईट का 26592X15=398880=00 रूपये का चेक निर्गत किया गया है। योजना संख्या 56/2010–11 के अभिलेख में भी योजना का नाम/योजना स्थल अंकित नही है और न ही

WEB COPY NOT OFFICIAL

कोई कोटेशन संलग्न है।इसी प्रकार योजना सं0 40/2010–11 से लेकर योजना सं0 47/2010–11 एवं योजना सं0 24/2010–11, 21/2010–11 एवं 29/2010–11 में भी किसी आपूर्तिकर्ता का कोटेशन संलग्न नहीं है। योजना पंजी में दर्ज योजना सं0 6/2010–11 एवं 7/2010–11 तथा योजना सं0 48/2010–11 से 55/2010–11 तक तथा योजना सं0 57/2010–11 से योजना 60/2010–11 तक कुल चौदह योजनाओं का अभिलेख संधारित नही है। पंचायत समिति देसरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु बी0आर0जी0एफ0 योजनाओं की अनुमोदित सूची की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी से की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी ने बताया कि उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित पंचायत समिति, देसरी के बैठक की कार्यवाही पंजी कार्यालय में संधारित नहीं है।

योजनाओं के जाँच के क्रम में यह भी प्रकाश में आया कि योजना पंजी में दर्ज योजना सं0 9/2010–11, 11/2010–11, 15/2010–11, 22/2010–11, 23/2010–11, 24/2010–11, 30/2010–11, 31/2010–11, 32/2010–11, 33/2010–11, 34/2010–11, 36/2010–11, 37/2010–11, 38/2010–11, 39/2010–11, 40/2010–11, 41/2010–11, 42/2010–11, 43/2010–11, 44/2010–11, 45/2010–11, 46/2010–11, 47/2010–11, 48/2010–11, 49/2010–11, 51/2010–11, 52/2010–11, 53/2010–11, 54/2010–11, 55/2010–11, 56/2010–11, 57/2010–11, 58/2010–11, 60/2010–11 से संबंधित सोलर लाईट योजना स्थल पर नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार योजना सं0 14/2010–11, 22/2010–11, 23/2010–11, 35/2010–11, 43/2010–11, 44/2010–11, 55/2010–11 के जाँच के क्रम में पाया गया कि जिन व्यक्तियों के मकान के पास सोलर लाईट स्थापन का स्थल अंकित किया गया है उस नाम का व्यक्ति उस गाँव एवं टोले में नही पाया गया। इन 7 (सात) योजनाओं की राशि का पूर्ण भुगतान विभागीय अभिकर्ता श्री शिवशंकर को दिनांक 12.02.2011 द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार इन कुल 37 योजनाओं (सोलर लाईट) की राशि मो0 26592x37=983904.00 की राशि विभागीय अभिकर्ता श्री शिवशंकर एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्रीमती प्रतिमा गुप्ता के मिली भगत से गबन कर लिया गया है।''

(III) प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी द्वारा गबन की गयी राशि की वसूली हेतु श्री शिवशंकर एवं अन्य पर नीलाम पत्र पदाधिकारी, वैशाली

WEB COPY NOT OFFICIAL

के न्यायालय वाद सं0–22/2013–14 भी दायर किया गया।

इस प्रकार श्री शिवशंकर द्वारा गंभीर वितीय अनियमितता एवं सरकारी राशि का गबन किया गया है। उनका यह कृत्य सरकारी सेवक के कार्यकलापों के सर्वथा विपरीत एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) के प्रतिकूल है।

श्री शिवशंकर को कठोरतम दंड देना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है ताकि भविष्य में कोई अन्य कर्मचारी ऐसे कर्मचारी का अनुसरण न करे।

समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखते हुए श्री शिवशंकर के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

**लेखापित एवं संशोधित**

**आयुक्त** **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL